नवल टाइम्स

RNI No. UTTHIN/2012/42590

भारत सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

वर्ष : 14 अंकः 19 हिन्दी साप्ताहिक हरिद्वार, बृहस्पतिवार 29 मई 2025 मूल्यः 1 रूपया पृष्ठः 4

उत्तराखंड सरकार सतर्कः कोविड-19 की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य सचिव ने दिए सभी तैयारियां चाक-चौबंद रखने के निर्देश

स्वास्थ्य सचिव बोले अफवाहों पर ध्यान न दें, राज्य सरकार हर स्तर पर आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

देहरादून(नवल टाइम्स)। देशभर में कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि को देखते हुए उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है।

राज्य के सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, डॉ. आर. राजेश कुमार ने विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने और किसी भी स्तर पर कोताही न बरतने के निर्देश दिए। डॉ. कुमार ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सक्रिय और दुरुस्त रहनी चाहिए। बैठक में महानिदेशक चिकित्सा डॉ सुनीता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ आशुतोष सयाना, असिस्टेंट डारेक्टर डॉ पंकज सिंह, सीएमओ देहरादून डॉ मनोज शर्मा, सीएमएस दून मेडिकल कॉलेज डॉ आरएस बिष्ट, सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कोविड-19 के मामलों में देशभर में आई हालिया वृद्धि को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्य में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमें किसी भी संभावित चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय घबराने की नहीं, बल्कि सतर्कता बरतने और सजग रहने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि राज्य के हर अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे कृ चाहे वह आइसोलेशन बेड हों, ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था हो या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता। इसके अलावा हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सर्विलांस सिस्टम मजबूत हो, जांच व्यवस्था में कोई कमी न हो और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई की जा सके। हमारी रैपिड रिस्पांस टीमें प्रशिक्षित और तैयार हैं। मैं राज्य के नागरिकों से अपील करता हूं कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों की स्वच्छता बनाए रखना, भीड़भाड़ से बचना और लक्षण होने पर समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है। हम सभी को एकजुट होकर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है ताकि हम न केवल खुद को, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रख सकें। यह समय अनुशासन और सहयोग का है, न कि लापरवाही का। राज्य सरकार हर स्तर पर आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राज्य के सभी सरकारी और निजी चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों को निर्देशित किया गया है कि वे कोविड मरीजों के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बाइपैप मशीन, वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी जिलों को कोविड-19 के संभावित मामलों की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी जांच केंद्रों में रैपिड टेस्ट किट और आरटी-पीसीआर किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आईडीएसपी कार्यक्रम के अंतर्गत गठित रैपिड रिस्पांस टीमों को किसी भी असामान्य परिस्थिति के लिए प्रशिक्षित और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड लक्षणों वाले सभी रोगियों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी और कोविड पॉजिटिव नमूनों को जांच के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, जनता को सतर्क करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाएगी।

चारधाम यात्रा पंजीकरण केन्द्र का विनय रोहिल्ला ने किया स्थलीय निरीक्षण

हरिद्वार (नवल टाइम्स)। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला ने सोमवार को ऋषिकुल मैदान पहुंचकर चारधाम यात्रा पंजीकरण केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पंजीकरण केन्द्र पर यात्रियों की सुविधा क लिए पंजीकरण काउण्टर, बैठने, पेयजल, शौचायलय, चिकित्सा, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

उन्होंने देश-विदेश से चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण केन्द्र पहुंचे श्रद्धालुओं से वार्ता करते हुए विभिन्न विषयों पर फीडबैक लिया तथा सभी की सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। पंजीकरण केन्द्र पहुंचे सभी श्रद्धालुओं ने पंजीकरण के लिए किये गये इन्तजामात की प्रशंसा की। उन्होंने ऋषिकुल मैदान में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि चार धाम यात्रा पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई हैं तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले लगभग 2 लाख 60 हजार तीर्थयात्रियों द्वारा अब तक ऑफलाइन अपना पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक दिन में 15 हजार तक व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन भी किए जा चुके है। रजिस्ट्रेशन प्रकिया के लिए तीर्थयात्रियों को अपना अंगूठा एवं फोटो खिंचवानी पड़ती है, इस पूरी प्रक्रिया में एक मिनिट का समय लगता है फिर भी लोग शांतभाव से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में चार धाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है व्यवस्थाओं में कोइ कमी न रहे इसीलिए आज व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया है। उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को पंजीकरण कराने में किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा न हो तथा आने वाले श्रद्धालु अपने साथ सुखद यादें लेकर जायें। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिल महामंत्री आशु चौधरी, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुशील नौटियाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, श्रद्धालु आदि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा की

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने दोनों विभागों की प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। समीक्षा बैठक के दौरान सचिव आर. राजेश कुमार ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग की बड़ी परियोजनाओं के कार्य निर्धारित तिथि के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित किए जाने की बात कही। कहा कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्य शुरू होने से लेकर पूर्ण होने तक के प्रत्येक कार्य की तिथि पूर्व से निर्धारित की जाए एवं तय समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करने हेतु सचिव एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर लगातार अनुश्रवण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र की माप के लिए आधुनिक तकनीक को प्रयोग किया जाए। उन्होंने नहर, नलकूप एवं लिफ्ट नहर आदि को ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से संचालित किए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सिंचाई अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदेश में सिंचाई क्षमता एवं अच्छी खेती वाले क्षेत्रों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं। ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की आवश्यकता अधिक है उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं तैयार की जाएं। मुख्य सचिव ने नलकूप एवं लिफ्ट नहर जैसी योजनाओं के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीनों पर अपनी क्षमता के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किए जाने की बात कही। उन्होंने विभाग के लिए इस वर्ष 01 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया। कहा कि इससे विभाग के विद्युत बिलों में कमी आएगी। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने ड्रिप एवं स्प्रिंकल योजना पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भूजल की कमी वाले स्थानों में पानी की बचत के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकल योजना अत्यधिक लाभप्रद होगी। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली लघु सिंचाई योजनाओं को बढ़ाए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि जमरानी, सौंग एवं बलियानाला लैंडस्लाईड ट्रीटमेंट जैसे बड़ी एवं महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सचिव स्तर पर मासिक एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर साप्ताहिक अथवा पाक्षिक अनुश्रवण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के लक्ष्य बढ़ाए जाने की बात भी कही। कहा कि लक्ष्य बढ़ाने के साथ ही कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाना भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय के निर्माण के लिए वन एवं पर्यावरण आदि की क्लीयरेंस में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव आर. राजेश कुमार ने कहा कि जल संचयन, संवर्धन, पेयजल, सिंचाई हेतु बांध, बैराज, जलाशय एवं चौकडैम आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य जून, 2024 को शुरू हुआ था, जिसे मार्च, 2030 तक पूर्ण किए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि परियोजना की अनुमानित लागत घ् 3808.16 करोड़ है।

सम्पादकीय

भारत की आक्रामक नीति भी जरूरी

युद्ध रोकने के लिए अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई लिखित समझौता नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने केवल मौखिक सहमति के आधार पर एक दूसरे के ऊपर हमला न करने को राजी हुए है। इसके साथ ही भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का आपरेशन सिन्दूर जारी रहेगा, यदि पाकिस्तान भारत में किसी आतंकी वारदात में शामिल होगा तो इसे आम सहमति का उल्लंघन माना जायेगा जिसके बाद भारत उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की सैनिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। पाकिस्तान के विरूद्ध भारत की सैनिक कार्यवाही से दुनिया को यह स्पष्ट संदेश मिल गया है कि भारत अब नया आकार ले चुका है। भारत अब सुरक्षात्मक नीति छोड़ कर आक्रामक नीति पर चलने वाला राष्ट्र बन गया है। यद्यपि भारत किसी के विरूद्ध आक्रमण की पहल नहीं करने पर प्रतिबद्ध रहेगा तथापि यदि कोई भारत को छेड़ने का प्रयास करेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत रणकौशल में चीन को बहुत पीछे छोड़ चुका है। नया भारत अब परम्परागत हथियारों से नहीं अपितु पाँचवीं और छठी जनरेशन के हथियारों से दुश्मन पर पलटवार करता है। जिसकी एक छोटी सी झलक भारत दुनिया को चार दिन के युद्ध में दिखा चुका है। दुनिया ने अभी तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 600 किमी तक है, का जलवा ही देखा है। जबकि भारत की स्वनिर्मित आधुनिकतम पृथ्वी व पिनाका जैसी मिसाइलों के प्रयोग की जरूरत ही पड़ी। एक अन्य जिसकी मारक क्षमता 16000 किमी है, तैयार हो चुकी है, और जिसका परीक्षण किया जाना बाकी है जो सुरक्षित जगह न मिल पाने के कारण नहीं हो पा रहा है। इस युद्ध को देखने के बाद दुनिया जिस बात को देखकर सबसे अधिक हैरान हुई वह है भारत की प्रतिरोधक सुरक्षा प्रणाली जिसने पाकिस्तान के छोटे-बड़े प्रत्येक आक्रमण को विफल कर दिया। कश्मीर से लेकर गुजरात की सीमा तक इस सुरक्षा प्रणाली ने जो काम किया इसका उदाहरण अभी तक दुनिया में अन्यत्र देखने को नहीं मिला। चाहे वर्तमान में जारी रूस युक्रेन युद्ध हो या फिर इजरायल हमास युद्ध इतनी सटीक सुरक्षा व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिली।

नागरिकों के संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों का खुला हनन

पिछले कुछ वर्षों से भारत में जिस तरह की माब लीचिंग, बुलडोजर न्याय, शासन एवं प्रशासन के दबाव में पुलिस द्वारा काल्पनिक अपराध कायम कर नागरिकों को प्रमाणित किया जा रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है। समय-समय पर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने जाँच एजेंसियों, पुलिस और सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों के लिये निर्देश जारी किये। किन्तु उनका पालन करने के स्थान पर सत्तापक्ष के राजनेताओं के दबाव में जिस तरह से असंवैधानिक एवं कानूनों की अनदेखी हो रही है। उससे न्यायपालिका की साख में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में सरकार या प्रशासनिक अधिकारी आनाकानी करें। यह न केवल लोकतंत्र के लिए संकट की स्थिति है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों का भी खुला हनन है। विभागीय प्रमोशन, सेवा विस्तार या स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर न्यायालयों के निर्देशों और आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। यह सिलसिला वर्षों तक खिंचता है। प्रशासकीय अधिकारियों और शासन द्वारा लगातार अपील पर अपील की जाती हैं अंतिम निर्णय आ जाने के बाद भी उसका पालन नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति नागरिक अधिकारों के मामलों में देखने को मिलती है। जहां प्रशासन नियम और कानून के विपरीत कार्यवाही करते है। न्यायालय से अंतिम फैसला भी हो जाता है। उसे सरकार के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जाता है। जब तक सरकार और प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, न्यायिक आदेशों को लेकर जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। तब तक प्रशासन और न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। लोकतंत्र में हर किसी की जवाबदेही तय है। जब तक इस जवाब देही का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा। सिर्फ चेतावनी या स्थानांतरण प्रशासकीय व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी नहीं है। न्यायपालिका को गैर जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, आर्थिक दंड और कठोर सजा देने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अवमानना के प्रकरणों में प्रशासकीय अधिकारियों को कठोर दंड देकर, नसीहत देने की जरूरत है। ताकि आगे कोई भी अधिकारी अदालत के आदेशों की अवमानना करने की हिम्मत न कर सके। सरकारों को चाहिए, वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समयबद्ध न्यायिक आदेशों के पालन सुनिश्चित करने की जवाब देही तय हो। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के आदेश पर शासन भी ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही कर उन्हें सेवा से हटाने का निर्णय भी कर सकती है। यदि ऐसा होगा तभी कानून का राज कायम हो सकेगा। न्याय पालिका की गरिमा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही की भावना को संस्थागत रूप से मजबूत करने की महत्व आवश्यकता है। नागरिकों को भी अपने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। नागरिक जब जागरूक होंगे, तब प्रशासन के अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अदालत में आपके पक्ष में फैसला हुआ है, उस आदेश के पूर्ण पालन होने तक तक नागरिकों को सजग रहने की जरूरत है। हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहेगा तभी नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे। नागरिकों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना होगी। कहा जाता है भरोसे की भैंस हमेशा पड़ा को जन्म देती है। स्वयं की लड़ाई कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा। अदालतों को भी, यदि उनके आदेश का पालन नहीं किया जाता है।

परेशान करने वाली है किशोरों में हिंसक प्रवृत्ति

जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता एवं क्रूर मानसिकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। कैथल जनपद के गांव धनौरी में दो किशोरों की निर्मम एवं क्रूर हत्या की हृदय विदारक घटना न केवल उद्वेलित एवं भयभीत करने वाली है बल्कि चिन्ताजनक है। चौदह-पंद्रह साल के दो किशोरों की गला रेतकर हत्या कर देना और वह भी उनके हमउम्र साथियों द्वारा, हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली डरावनी एवं खौफनाक घटना है, जो किशोरों में पनप रहे हिंसक बर्ताव एवं हिंसक मानसिकता का घिनौना एवं घातक रूप है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। जाहिर है दसवीं-ग्यारहवीं के छात्रों की क्रूर हत्या हमारे समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। ऐसी कई अन्य घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है।

जैसाकि घटना से संबंधित तथ्यों में बताया गया कि हत्या में शामिल युवक धनौरी गांव के ही थे और कुछ दिन पहले किशोरों को धमकाने उनके घर आए थे। मारे गए किशोरों पर हत्या आरोपियों ने आरोप लगाया था कि वे उनकी बहनों से छेड़खानी करते थे। निश्चय ही ऐसे छेड़खानी के कथित आरोप को नैतिक दृष्टि से अनुचित ही कहा जाएगा, लेकिन उसका बदला हत्या कदापि नहीं हो सकती। यह दुखद है कि एक मृतक किशोर अरमान पांच बहनों का अकेला भाई था।

घटना से उपजी त्रासदी से अरमान के परिवार पर हुए वज्रपात को सहज महसूस किया जा सकता है। उनके लिये जीवनभर न भुलाया जा सकने वाला दुख एवं संत्रास पैदा हुआ है। बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर सिनेमा तक उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मन:स्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा?

बहरहाल, इस हृदयविदारक एवं त्रासद घटना ने नयी बन रही समाज एवं परिवार व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े किये हैं। सवाल नये बन रहे समाज की नैतिकता एवं चरित्र से भी जुड़े हैं। निश्चित ही किसी परिवार की उम्मीदों का यूं कत्ल होना मर्मांतक एवं खौफनाक ही है। लेकिन सवाल ये है कि चौदह-पंद्रह साल के किशोरों पर यूं किन्हीं लड़कियों को छेड़ने के आरोप क्यों लग रहे हैं? पढ़ने-लिखने की उम्र में ये सोच कहां से आ रही है? क्यों हमारे अभिभावक बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं ताकि वे किसी की बेटी व बहन को यूं परेशान न करें? क्यों लड़कियों से छेड़छाड़ की अश्लील एवं कामूक घटनाएं बढ़ रही है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का वह पक्ष उपेक्षित हो चला है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है? क्या शिक्षक छात्रों को सदाचारी व नैतिक मूल्यों का जीवन जीने की प्रेरणा देने में विफल हो रहे हैं? हत्या की घटना हत्यारों की मानसिकता पर भी सवाल उठाती है कि उन्होंने क्यों सोच लिया कि छेड़खानी का बदला हिंसा एवं क्रूरता से गला काटना हो सकता है? धनौरी की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। दरअसल, दशकों तक बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों ने समाज एवं विशेषत: किशोर पीढ़ी में जिस अपसंस्कृति का प्रसार किया, आज हमारा समाज उसकी त्रासदी झेल रहा है। इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है।

अब तक हिन्दी सिनेमा से समाज के किशोरवय और युवाओं में गलत संदेश गया कि निजी जीवन में छेड़खानी ही प्रेम कहानी में तब्दील हो सकती है। हमारे टीवी धारावाहिकों की संवेदनहीनता ने गुमराह किया है। बॉक्स आफिस की सफलता और टीआरपी के खेल ने मनोरंजक कार्यक्रमों में ऐसी नकारात्मकता एवं हिंसक प्रवृत्ति भर दी कि किशोरों में हिंसक एवं अराजक सोच पैदा हुई।

इंटरनेट के विस्तार और सोशल मीडिया के प्रसार से स्वच्छंद यौन व्यवहार का ऐसा अराजक एवं अनियंत्रित रूप सामने आया कि जिसने किशोरों व युवकों को पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिया। आज संकट ये है कि हर किशोर के हाथ में आया मोबाइल उसे समय से पहले वयस्क बना रहा है। जिस पर न परिवार का नियंत्रण है और न ही शिक्षकों का। 'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वछन्द हो जाते हैं। अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

आज किशोरों एवं युवाओं को प्रभावित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व नये-नये एप पश्चिमी अपसंस्कृति से संचालित हैं। इन पर अश्लीलता और यौन-विकृतियों वाले कार्यक्रमों का बोलबाला है। ऐसे कार्यक्रमों की बाढ़ हैं जिनमें हमारे पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में स्वच्छंद यौन व्यवहार को हकीकत बनाने का खेल चल रहा है। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मर्यादा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं एवं यौनाचार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं, वे आत्मघाती-हिंसक बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं।

ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। मोबाइल व कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बह रहे नीले जहर से किशोर अराजक यौन व्यवहार एवं हिंसक प्रवृत्तियों की तरफ उन्मुख हुए हैं। किशोरों को समझाने वाला कोई नहीं है कि यह रास्ता आत्मघात का है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन जैसे देश किशोरों को मोबाइल से दूर रखने हेतु कानून बना रहे हैं। हमारे देश में भी शीर्ष अदालत ने समय-समय पर ऐसी घटनाओं पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। क्या इन दर्दनाक घटनाओं से हमारे अभिभावकों, समाज-निर्माताओं एवं हमारे सत्ताधीशों की आंख खुलेगी? बच्चों से जुड़ी हिंसा की इन वीभत्स एवं त्रासद घटनाओं से जिन्दगी सहम गयी है। हमें मानवीय मूल्यों के लिहाज से भी विकास एवं नयी समाज-व्यवस्था की परख करनी होगी। बच्चों के भीतर हिंसा मनोरंजन की जगह ले रही है। इसी का नतीजा है कि छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी अपने किसी सहपाठी की हत्या तक कर रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा?

प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने में जुटे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

बिहार के मुंगेर का जमालपुर रेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां के औद्योगिक परिदृश्य में एक समय ऐसा भी था कि इस क्षेत्र को बंगाल के बर्मिंघम (इंग्लैंड में उद्योगों के लिए मशहूर शहर) के रूप में जाना जाता था। यह बात बिहार-बंगाल विभाजन से पहले की है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप (जमालपुर रेल कारखाना) भी इस शहर के औद्योगिक रूप से मजबूत होने की कहानी बयां करता है। अंग्रेजों ने देश में पहली रेल लोकोमोटिव कार्यशाला खोलने के लिए मुंगेर जिले के जमालपुर को चुना क्योंकि यहां दक्ष कारीगर थे। इस कारखाने में काम करने पूरे देश से लोग आए और खास मिश्रित संस्कृति के आधार पर जमालपुर विकसित हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि जमालपुर का वजूद पहले भी रहा होगा, लेकिन आधुनिक शहर के रूप में जमालपुर की शुरुआत कारखाने के साथ ही हुई। ईस्ट कॉलोनी के रूप में रेलवे के अंग्रेज साहबों के लिए यूरोपीय मानक के साथ शहर बसाया गया। यह जिले के गजेटियर में दर्ज है। रेलवे लाइन की दूसरी तरफ मजदूरों और छोटे बाबुओं के लिए रामपुर कॉलोनी, दौलतपुर कालोनी बसाई गई। जमालपुर कारखाना मुंगेर की अर्थव्यवस्था का आधार है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जमालपुर कारखाना के विकास के लिए 78.96 करोड़ की नई सौगात के रूप में, जमालपुर कारखाना में वैगन पीओएच क्षमता वृद्धि परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह , बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के साथ श्री वैष्णव ने वैगन निर्माण शॉप और क्रेन शॉप जैसी विभिन्न शॉपों का निरीक्षण किया। वैगन निर्माण शॉप में रेल मंत्री ने जमालपुर वर्कशॉप में निर्मित बॉक्सन वैगन, बीएलसीएस वैगन और शौचालय युक्त ब्रेक वैन का भी निरीक्षण किया। क्रेन शॉप में मंत्री ने नव निर्मित 140 टन क्रेन, 8-व्हीलर टावर कार और जमालपुर जैक का निरीक्षण किया जो इस कारखाने की विशेष पहचान हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने इरिमी जमालपुर का दौरा किया जहां उन्होंने वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मेक्ट्रोनिक्स जैसी इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं पर विस्तृत विकास योजना वाली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तक में इन चार विषयों पर कार्ययोजनाएँ शामिल हैं, ताकि , जमालपुर में इंजीनियरों के लिए इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र में बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षण सुविधा विकसित की जा सके। इस प्रयास में पूरे क्षेत्र के विकास के लिए 350 करोड़ रुपये की निवेश योजना शामिल है। वैगन, क्रेन और जमालपुर जैक जैसे उपकरणों के निर्माण का लक्ष्य लगातार बढ़ाया गया है, और साथ ही अवसंरचना को भी मजबूत किया गया है। किंतु वर्तमान सरकार की सोच इससे कहीं आगे है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अंतर्गत बिहार में रेलवे के बजटीय आवंटन में लगभग 1000 करोड़ (एक दशक पूर्व) से बढ़ाकर अब 10,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार के विकास हेतु 98 स्टेशनों के पुनर्विकास सहित 1,00,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में 1832 किमी नई पटरियां बिछाई गई हैं और पूरे भारत में 34000 किमी रेलवे ट्रैक बिछाए गए। इसके अलावा, 50,000 किमी से अधिक मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है जिससे तेल आयात पर निर्भरता घटी है।

बेस्ट मॉडल होगी उत्तराखंड की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी: रेखा आर्या

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश, राष्ट्रीय खेल दिवस पर वितरित होगी नगद इनाम राशि

देहरादून(नवल टाइम्स)। प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी है। सोमवार को खेल निदेशालय स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके निर्देश दिए। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन करके प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय में जितने पदों की आवश्यकता है इस बारे में शासन से जल्द अनुमति ली जाए । उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के कोर्सों को मान्यता दिलाने के लिए यूजीसी के साथ भी पत्राचार करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर केंद्रीय स्तर से वन विभाग की जो आपत्ति थी, उसका निवारण किया जा रहा है । उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिससे आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा सके।

खेल मंत्री ने बताया कि 38 वें राष्ट्रीय खेलों प्रदेश के लिए पदक जितने वाले खिलाड़ियों की नगद इनाम राशि के लिए शासन स्तर से 15 करोड रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए हैं और आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही विजेताओं को नगद इनाम राशि वितरित भी जाएगी। खेल मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के अलावा भी जिन खिलाड़ियों ने 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के लिए पदक जीते हैं उन्हें भी इसके साथ ही नगद इनाम राशि दी जानी है। बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आउट ऑफ़ टर्न जॉब के लिए बनेंगे अधिसंख्य पद: राष्ट्रीय खेल अन्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए विभिन्न विभागों में अधिसंख्य पद सृजित करने की मांग की गई है। पहले शासन स्तर से यह कहा गया था कि वर्तमान में जो 57 पद रिक्त हैं पहले उन पर नियुक्ति कर ली जाए, लेकिन सोमवार की बैठक में यह तय हुआ कि सभी पात्र खिलाड़ियों को एक साथ नियुक्ति दी जानी है। इसलिए पहले अधिसंख्य पद सृजित करना जरूरी है। खेल मंत्री ने विशेष प्रमुख खेल सचिव को इस बारे में शासन की जल्द से जल्द अनुमति लेने के लिए निर्देशित किया। खेल विभाग शासन से 400 से अधिक अधिसंख्य पद चाहता है ताकि भविष्य में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को तुरंत नियुक्ति देने में सुविधा रहे।

एक सप्ताह में जारी होगी प्रोत्साहन राशि: मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चुने गए युवा खिलाड़ियों को धनराशि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनके बैंक अकाउंट अपडेट किए जा रहे हैं। जल्द ही डीबीटी के माध्यम से खिलाड़ियों का पैसा जारी किया जाएगा।

पंचायत की सूचना छिपाने पर पंचायत अधिकारी निलम्बित, 25 हजार का जुर्माना

देहरादून। पंचायतों में कराये गये कार्यों की सूचना नहीं दिये जाने एवं शिक्षा विभाग में गलत सूचना दिये जाने पर राज्य सूचना आयोग ने पंचायत विभाग एवं शिक्षा विभाग के दो लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना अधिकार के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की सूचना नहीं दिये जाने पर आयोग के सख्त रुख को देखते हुए विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खण्ड सितारगंज को अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा निलम्बित किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं किये जाने पर लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिये हैं। उधमसिंहनगर जिले के निवासी निखिलेश घरामी द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2019 से सितारगंज ब्लाक के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवीपुरा, डियोड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना, बलखेड़ा एवं सिद्धानवदिया में कराये गये कार्यों एवं खुली बैठक के निर्णयों आदि की जानकारी चाही गयी थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना ग्राम प्रधानों के पास होने का कथन करते हुए पूरे साल भर तक सूचना प्रेषित नहीं की गयी। आवेदक द्वारा सूचना नहीं मिलने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की गयी जहां राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपील की, सुनवाई के दौरान एक साल तक आवेदक को सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य सहित संबंधित ग्राम प्रधानों को आयोग में तलब किया। आयोग के कड़े रुख के उपरांत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को आंशिक सूचना प्रदान की गयी जबकि समस्त ग्राम प्रधानों ने लिखित में आयोग को अवगत कराया कि सूचना से संबंधित समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास हैं। सुनवाई में स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना छिपायी गयी।

आयोग द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को पक्षकार बनाते हुये प्रकरण को गंभीरता से लिये जाने के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित किया गया है। आयोग ने सूचना न दिये जाने पर लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना अधिरोपित करते हुये सूचना न दिये जाने के कारणों का पता लगाते हुए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत संवैधानिक इकाई है, जिसके सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते है तथा संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिले में जिला पंचायतराज अधिकारी के दिशा-निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। प्रशासकीय लोक प्राधिकारी के रूप में जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय का यह दायित्व है कि समस्त ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से प्रशिक्षित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये एवं सूचना/अभिलेखों के संरक्षण, व्यवस्थापन व रख-रखाव हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी के मूल अनुरोध पत्र के सापेक्ष सूचनायें प्रेषित नहीं की गयी। आयोग के निर्देश के क्रम में सूचनाओं का जो प्रेषण किया गया उसमें अधिनियम के प्राविधानों की अनदेखी की गयी तथा मनमाने तरीके से सूचना देते हुए अपीलार्थी एवं आयोग को गुमराह करने की कोशिश की गयी। अपीलकर्ता द्वारा गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए वांछित सूचना न दिये जाने पर ग्राम पंचायत में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण दिये जाने या इसमें शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति लोक प्राधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अपीलार्थी को वर्णित स्थिति में वांछित सूचना दिलाया जाना सुनिश्चित करें एवं अपीलार्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के बिन्दुओं के साथ-साथ सुनवाई में उनके द्वारा जो गंभीर विषय उठाये गये हैं उसके संबंध में अपना एक सुस्पष्ट प्रत्यावेदन जिला पंचायतराज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिला पंचायतराज अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रत्यावेदन पर यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो अवशेष सूचना है उसके लिए संबंधित को निर्देशित करते हुए अपने स्तर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायें। यदि सूचना उपलब्ध कराये जाने में अभिलेखों की अनुपलब्धता प्रतीत होती है या वांछित सूचना से संबंधित अभिलेख नहीं पाये जाते हैं तो इस संबंध में कार्यवाही करते हुए आयोग को अवगत कराया जाये।

शांतिकुंज ने खानपुर ब्लॉक के 1815 विद्यार्थियों को स्कूल बैग किट बांटी

हरिद्वार(नवल टाइम्स)। मां भगवती देवी अन्नपूर्णा योजनांतर्गत गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज की व्यवस्था मण्डल प्रमुख श्रीमती शैफाली पण्ड्या की अगुवाई में सोमवार को खानपुर विकासखण्ड के 33 प्राथमिक विद्यालयों के 1815 विद्यार्थियों को स्कूल बैग किट वितरित किये गये। वितरण समारोह का शैफाली पण्ड्या सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर शैफाली पण्ड्या ने कहा कि शिक्षा ही वह नींव है जिस पर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होता है। हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। व्यवस्थापक योगेंद्र गिरि ने कहा कि शिक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। यह हर बच्चे का अधिकार है।

इस दौरान शैफाली पण्ड्या ने खानपुर विकासखंड के 33 प्राथमिक विद्यालयों 1815 विद्यार्थियों को स्कूल बैग किट बाँटीं। स्कूल बैग किट पाकर नौनिहालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चों को स्कूल बैग किट देकर डॉ. चिन्मय पण्ड्या एवं शैफाली पण्ड्या ने जो स्नेह, सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। इससे बच्चों में न केवल पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ेगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी सशक्त होगा। इस सेवा-कार्य के माध्यम से शांतिकुंज परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम में विद्यालयों के शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की प्रशंसा की और इसे समाज निर्माण की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम बताया।

बताते चलें कि इसी योजनांतर्गत देसंविवि के चिन्मय पण्ड्या के नेतृत्व में प्रथम चरण में विगत 23 मई खानपुर ब्लॉक के 11 राजकीय विद्यालयों के 981 विद्यार्थियों को स्कूली बैग किट बांटे थे।

वितरण समारोह के अवसर पर शांतिकुंज से अजय त्रिपाठी, मंगल सिंह गढवाल, अनंत पैरामेडिकल कॉलेज से योगेश परमार, नरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह, जयसिंह यादव, केहर सिंह जी, शिक्षक संघ से प्रमोद तथा बीआरसी पवन वर्मा आदि उपस्थित रहे।

इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिये गये स्कूल बैग किट

महेशरा, करणपुर, सिकंदर पुर, मोहम्मद पुर, माजरी, गोवर्धनपुर, रूहालकी, सईपुर, अब्दीपुर, मथाना, याहियापुर, धरमपुर, अब्दुल रहीमपुर, बरवाला, बालचंद वाला, टांडा जलाल पुर, प्रहलाद पुर, हस्तमौली, शाहपुर, जोगावाला, नियामतपुर, लालपुर, लालचंद वाला, कलसिया, वालावाली, डुमनपुरी, गिद्दावाली, कानेवाली, पोडोवाली, डेरियो, मिर्जापुर शादत, पूरनपुर, जोगावाला आदि विद्यालय शामिल रहे।

उत्तराखण्ड को मिली बड़ी सौगात, सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड जल विद्युत परियोजना को मिली मंजूरी

देहरादून। पिथौरागढ़ जनपद में गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड जल विद्युत परियोजना के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार कोशिशें आज रंग लाई। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 29.997 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर आज वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee) द्वारा विचार किया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

यह परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रूप से डिजाइन की गई है। लगभग एक किलोमीटर सुरंग निर्माण और अधिकांश संरचनाएं भूमिगत होने के कारण वन भूमि पर प्रभाव नगण्य रहेगा। परियोजना क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या ईको-सेंसिटिव जोन नहीं है, और न ही इससे किसी प्रकार का विस्थापन होगा।

परियोजना से प्रतिवर्ष अनुमानित 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे उत्तराखण्ड की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को स्थायी एवं अस्थायी रोजगार, आधारभूत ढांचे का विकास और पलायन पर नियंत्रण जैसे अनेक लाभ होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना को स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह परियोजना उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और समर्थन से राज्य को ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि मिली है। राज्य सरकार जनकल्याण के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह परियोजना उत्तराखण्ड के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बनेगी।

- **सीएम पुष्कर सिंह धामी के लगातार प्रयासों को मिली सफलता**
- **सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया**

गौरतलब है कि विगत में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से अपनी भेंट के दौरान इस परियोजना की स्वीकृति का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखण्ड में लागू यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण दिया

- उत्तराखंड में यूसीसी में चार माह में डेढ़ लाख से अधिक आवेदन मिले: सीएम धामी
- राज्य के लगभग 98 प्रतिशत गांवों से आवेदन प्राप्त किए जा चुके
- यूसीसी लागू करने में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए सीएम धामी ने पीएम और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया

मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में यूसीसी पर प्रस्तुतिकरण देते सीएम पुष्कर सिंह धामी।

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का निर्माण किया गया है।

प्रक्रिया को जनसामान्य के लिए अधिक सुलभ और सहज बनाने के लिए एक पोर्टल और समर्पित मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। साथ ही ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स को इससे जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लागू किया गया है। व्यापक डिजिटल और भौतिक नेटवर्किंग के परिणामस्वरूप केवल चार माह की अवधि में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्यभर से लगभग डेढ़ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, राज्य के लगभग 98 प्रतिशत गाँवो से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने यूसीसी के सफलतापूर्वक लागू करने में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दृष्टि पत्र के माध्यम से राज्य की जनता को ये वचन दिया था कि यदि जनादेश मिला, तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चुनावों में विजय के पश्चात पहले दिन से ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। यूसीसी के बिल का मसौदा तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में व्यापक जन-परामर्श किया गया।

जिसके माध्यम से समिति को लगभग 2 लाख 32 हजार सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने न केवल आम नागरिकों से परामर्श किया, बल्कि सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न वैधानिक आयोगों के प्रमुखों से भी बातचीत की।

राज्य सरकार ने 7 फरवरी, 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर मा. राष्ट्रपति महोदया को भेजा। मा. राष्ट्रपति महोदया ने 11 मार्च, 2024 को इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की। आवश्यक नियमावली एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, 27 जनवरी, 2025 को पूरे उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

इस प्रकार उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को मूर्त रूप देते हुए समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक धरातल पर लागू किया। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अन्तर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है।

इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। इसके द्वारा अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, तीन तलाक आदि कुप्रथाओं पर पूर्णत: रोक लगाई जा सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी की थी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे सम्मिलित किया था।

यूसीसी के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यूसीसी के अंतर्गत सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में एक समान विधिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब पति-पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा तथा बहुविवाह की प्रथा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही, संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर, सहायक विधियों द्वारा या लिव इन संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। यूसीसी के अंतर्गत बच्चों की संपत्ति में माता-पिता को भी अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन यापन का अधिकार प्राप्त हो। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, युवा पीढ़ी विशेष रूप से युवक-युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित सामाजिक जटिलताओं एवं अपराधों से बचाने के उद्देश्य से इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता-पिता या अभिभावक को देगा, ये जानकारी पूर्णत: गोपनीय रखी जाएंगी। यूसीसी के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह-विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावी एवं स्पष्ट नियमावली को भी लागू कर दिया है।

मुश्किलों से जीतना सिखाता है खेल: खेल मंत्री रेखा आर्या

सेंट जोसेफ एकेडमी में प्री योगा ओलंपियाड विजेताओं को किया सम्मानित

देहरादून(नवल टाइम्स)। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने रविवार को सेंट जोसेफ एकेडमी में आयोजित सीआईएससीई नेशनल प्री योगा ओलंपियाड 2025 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योग व अन्य सभी खेल युवाओं को जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं और मुश्किलों को हराकर कैसे सफलता पानी है, इसका रास्ता दिखाते हैं।

रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नेशनल गेम्स में पहली बार योगासन को मुख्य प्रतियोगिता के रूप में शामिल कराया था और उम्मीद है कि जल्द ही यह एशियाड और ओलंपिक जैसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भी शामिल किया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि एक खेल के रूप में योग पूरी दुनिया में पहचान बना रहा है और हमारे प्रदेश में इसके खिलाड़ी बड़ी संख्या में तैयार हो रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों से खेल मंत्री ने कहा कि वे अपने बच्चों को खिलाड़ी बनने में सहयोग दे क्योंकि अब खेल भी एक चमकता हुआ कैरियर है।

खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। उन्हीं के प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि अब 21 जून को दुनिया के ज्यादातर देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार खेल संस्कृति विकसित करने में जुटी हुई है। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अगले महीने होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में जीत की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ब्रदर जोसेफ एम जोसेफ, ब्रदर जेसी कैरल, अरिजीत बासु, अर्णव कुमार, मिशेल ए गार्डनर, अनुज कुमार सिंह, डा. अरविन्द कुमार कोटनाला आदि मौजूद रहे।

मालन पुल सहित 7 योजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी जनपद के कोटद्वार में चिल्लरखाल-पाखरो मोटर मार्ग पर निर्मित मालन पुल के सुरक्षात्मक कार्य सहित कुल सात निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने जनता को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि मालन सेतु का पुनर्निर्माण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस पुल के शुरू होने से कोटद्वार एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटद्वार के विकास के लिये भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक ओर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी ओर 691 करोड़ की लागत से कोटद्वार में चार लेन बाईपास और कोटद्वार-नजीबाबाद डबल लेन सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार-पौड़ी-श्रीनगर सड़क को भी अब डबल लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। सिद्धबली-कोटद्वार से दिल्ली तक नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो चुकी है। कोटद्वार में अस्पताल और बस स्टैंड टर्मिनल का भी निर्माण प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिये लिये कैबिनेट में प्रस्ताव

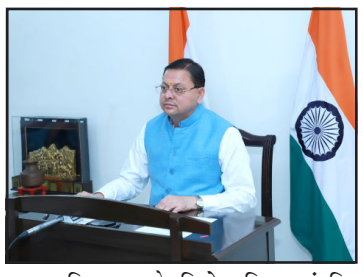

लाकर विद्यालय के लिये भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक ऋतु खंडूडी भूषण ने कहा कि कोटद्वार में मुख्यमंत्री के सहयोग से लगातार विकास कार्य कराये जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त मालन पुल का कार्य भी तेजी से पूरा किया गया है। इस अवसर पर नगर निगम कोटद्वार मेयर शैलेंद्र सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान उपस्थित थे।

जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ उनमें 26 करोड़ 75 लाख 95 हजार की लागत से चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पाखरो मोटर मार्ग पर मोटाढाक के निकट मालन नदी पर 325 मीटर स्पान के पूर्व निर्मित आरसीसी वॉयडेड स्लैब सेतु का सुरक्षात्मक कार्य। 4 करोड़ 50 लाख 19 हजार की लागत से चिल्लरखाल-पाखरो मोटर मार्ग के 12 किलोमीटर में स्थित 385 मीटर स्पान के सुखरौं पुल का सुरक्षात्मक कार्य। 2 करोड़ 10 लाख 40 हजार की लागत से कौड़िया मोटाढाक मोटर मार्ग पर बीईएल के निकट सुखरों नदी पर 300 मीटर स्पान डबल लेन पुल का सुरक्षात्मक कार्य। 2 करोड़ 36 लाख 87 हजार की लागत से खोह नदी में स्थित 90 मीटर स्पान ग्रास्टनगंज पुल के सुरक्षात्मक कार्य। 2 करोड़ 70 लाख 20 हजार की लागत से खोह नदी में स्थित 100 मीटर स्पान गूलर पुल के सुरक्षात्मक कार्य, 4 करोड़ 87 लाख 20 हजार की लागत से खोह नदी पर 100 मीटर स्पान आरसीसी गार्डर पुल के सुरक्षात्मक कार्य, 18 करोड़ 25 लाख 35 हजार की लागत से निर्मित, चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पाखरो मोटर मार्ग के किलोमीटर 1-12 में सुदृढ़ीकरण कार्य शातिल हैं।

कानूनी सलाहकार

एड. अनुज कुमार शर्मा

चैम्बर नं. 20, रोशनाबाद

हरिद्वार (उत्तराखंड)

मो. 9837387718

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजीव शर्मा ने किरण ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, निकट गुरूकुल कांगड़ी फार्मेसी, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) से छपवाकर, म.नं. डी-31/2 आदर्शनगर कालोनी, गोल गुरूद्वारा, सेंटमेरी स्कूल के पीछे, ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखंड) से प्रकाशित किया।

: सम्पादक :

संजीव शर्मा

मो. 8057605991/9897106991

ईमेल: navaltimes@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार होगा

प्रबंध संपादक

डा. संदीप भारद्वाज

बिजनौर प्रभारी

विशाल शर्मा

सभी पद अवैतनिक हैं